

भारत सरकार
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
कार्यकारी अभियंता / उप निदेशक (उपवान) के लिए विभागीय परीक्षा
लेखा पत्र -I (बिना किताबें)
दिसम्बर - 2017

समय: 3.00 घंटे

अधिकतम अंक : 100

प्र.1 निम्नलिखित को समझाएं (किसी भी छः प्रश्नों का उत्तर दें)

6x5 = 30 अंक

- जमा कार्य।
- एकमुश्त ठेके।
- सामग्री का सिक्वोर्ड अग्रिम।
- लेखांकन में दिशा और अन्य विशेष कार्यालय।
- सस्पेंस खाता।
- खाते का मिसप्रप्रोप्रिएशन।
- दिल्ली शेड्यूल ऑफ़ रेट्स।

प्र.2 निष्पादन की गारंटी के मुताबिक बैंक गारंटी प्राप्त करने की प्रक्रिया और इसका लेखा और रिहाई। अनुबंध के किस धारा के परिणामस्वरूप परफॉरमेंस गारंटी प्राप्त की जाती है।

5 अंक

प्र.3. अंतर बताएं।

2x5 = 10 अंक

- काम अनुबंध में निर्धारित सामग्री और गैर निर्धारित सामग्री जारी करने की विधि।
- कार्य व्यय और कार्य परिव्यय।

प्र.4. अंतर बताएं।

5 अंक

ई-निविदा और सामान्य निविदा।

प्र.5. लेखांकन में हस्तांतरण प्रविष्टियां एवम इसके उपयोग को बताएं ?

5 अंक

(या)

मोबिलाइसेशन अग्रिम और उपकरण और प्लांट अग्रिम क्या हैं? इनके बीच अंतर बताएं।

5 अंक

प्र.6 लेखांकन में एक ठेकेदार के खातेदार क्या है? खातों में इसका क्या उपयोग है?
(या)

कंप्यूटरीकृत माप पुस्तिका क्या है? इसके रिकॉर्ड की प्रक्रिया समझाए और इसे सुरक्षित रखने की विधि बताएं ।

2x5 = 10 अंक

प्र.7 i) खातों का पुनर्विनियोजन और विनियोजन की प्रक्रिया की व्याख्या करें ।
ii) लेखांकन में सामग्री की एक-मुद्रा [इशू रेट] दर की प्रासंगिकता क्या है? एक-मुद्रा सामग्री की दर कैसे निकाला जाता है?

5 अंक

प्र.8 कार्य पूरा होने पर खातों को बंद करने की विधि समझाएं? मंत्रालय द्वारा जमा कार्य और अधिकृत कार्य बंद करने के बीच अंतर बताएं ।

5 अंक

प्र.9 समझाएं:

खातों में कार्यालय आकस्मिकताओं और नकद।

प्र.10 (ए) निम्नलिखित अधिकारियों के लिए तकनीकी मंजूरी की स्वीकृति के लिए प्रत्यायोजित शक्ति बताएं ।

2x5=10 अंक

- सहायक अभियंता / सहायक कार्यपालक अभियंता / सहायक निदेशक (बागवानी)
- कार्यपालक अभियंता / उप निदेशक (बागवानी)
- अधीक्षक अभियंता / निदेशक (बागवानी)
- मुख्य अभियन्ता
- अतिरिक्त महानिदेशक

(बी) निम्नलिखित अधिकारियों के लिए अनुबंध में अतिरिक्त वस्तुएं की स्वीकृति के लिए प्रत्यायोजित शक्ति बताएं ।

- सहायक अभियंता / सहायक कार्यकारी अभियंता / सहायक निदेशक (बागवानी)
- कार्यकारी अभियंता / उप निदेशक बागवानी)
- अधीक्षक अभियंता / निदेशक (बागवानी)
- मुख्य अभियन्ता
- अतिरिक्त महानिदेशक

5 अंक

प्र.11 खातों का विभाजन और इसका उपविभाजन समझाये ।

5 अंक

प्र.12 सीपीडब्ल्यूडी के अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 12 को समझाये ।
